

CIRCULAR

Circular No. PFRDA/2024/13/SUP-CRA/07

Date: 26 June 2024

To,

- i. Trustee Bank ('TB')
- ii. Central Recordkeeping Agency ('CRA')
- iii. National Pension System Trust ('NPS Trust')
- iv. Government Nodal Offices (i.e. CG, SGs, CABs & SABs)
- v. Point of Presence ('PoP')
- vi. All other NPS Stake Holders

Madam / Sir,

**Same Day Investment of NPS contributions (T+0) received by Trustee Bank effective
from 1st July 2024**

1. National Pension System (NPS) subscribers have multiple modes for contribution deposit including through Points of Presence (PoPs), eNPS, D-Remit, UPI, UPI QR Code and their employers. These contributions are deposited into the designated account of the Trustee Bank (TB) following the sharing of contribution information with the Central Recordkeeping Agencies (CRAs). Currently, contributions received by the Trustee Bank are invested on the next settlement day (T+1), meaning contributions received until the previous day (T) are invested the following day (T+1).
2. With advancements in technology and a robust system-level interface between TB and CRAs, contributions received by TB till 11 AM (T) on any settlement day will now be considered for same-day investment. *This new timeline for same-day investment will be effective from 1st July 2024.* Contributions received by TB after 11 AM will be invested on the next day (T+1).
3. The extended timeline for accepting contributions will apply to all types of contributions received by TB from/through Government Nodal Offices, PoPs, eNPS, D-Remit, UPI, etc. D-Remit contributions received by 9:30 AM on any settlement day which are already considered for same-day investment, will also be extended according to the revised timelines of 11 am.



4. PoPs, Government Nodal Offices and NPS Trust for eNPS are advised to align their information-sharing systems with CRA and the contribution remittance framework to TB according to the revised timelines in a time-bound manner. This alignment ensures that the benefits of same-day investments are passed on to the subscribers as applicable.
5. The circular is issued under Section 14 of the PFRDA Act, 2013 and is made available on the PFRDA website (www.pfrda.org.in) in the Circular section under the regulatory framework.

Yours faithfully,

Chief General Manager

परिपत्र

परिपत्र सं. पीएफआरडीए/2024/13/एसयूपी/सीआरए-07

दिनांक: 26 जून 2024

प्रति,

- i. न्यासी बैंक ('टीबी')
- ii. केंद्रीय अभिलेखपाल अभिकरण ('सीआरए')
- iii. राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास ('एनपीएस ट्रस्ट')
- iv. सरकारी नोडल कार्यालय अर्थात् सीजी, एसजी, सीएबी और एसएबी
- v. उपस्थिति अस्तित्व ('पीओपी')
- vi. अन्य सभी एनपीएस हितधारक

महोदया महोदय /,

**न्यासी बैंक द्वारा प्राप्त एनपीएस अंशदान का उसी दिन निवेश +टी)0) - दिनांक 01 जुलाई 2024 से
प्रभावी**

1. राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) अभिदाताओं के पास उपस्थिति अस्तित्व (पीओपी), ईएनपीएस-, डीरेमिट-, यूपीआई, यूपीआई क्यूआर कोड और उनके नियोक्ताओं के माध्यम से अंशदान जमा करने के कई तरीके उपलब्ध हैं। इन अंशदानों को न्यासी बैंक (टीबी)के नामित खाते में जमा किया जाता है तथा इसकी (जानकारी केंद्रीय अभिलेखपाल अभिकरणों (सीआरए)के साथ साझा की जाती है। वर्तमान में (, न्यासी बैंक द्वारा प्राप्त अंशदान को अगले निपटान दिवस)T+1) पर निवेश किया जाता है, अर्थात् पिछले दिन)T) तक प्राप्त अंशदान अगले दिन)T+1) पर निवेश किए जाते हैं।
2. प्रौद्योगिकी में प्रगति और टीबी तथा सीआरए के बीच एक मजबूत प्रणालीस्तरीय इंटरफेस के साथ-, किसी भी निपटान दिवस पर सुबह 11 बजे तक टीबी (टी) में प्राप्त अंशदान अब उसी दिन निवेश के लिए मान्य होंगे। उसी दिन निवेश के लिए यह नई समयसीमा दिनांक 1 जुलाई 2024 से लागू होगी। सुबह 11 बजे के बाद टीबी द्वारा प्राप्त अंशदान को अगले दिन)T+1) निवेश किया जाएगा।
3. अंशदान स्वीकार करने के लिए विस्तारित समयसीमा सरकारी नोडल कार्यालयों, पीओपी, ईएनपीएस-, डीरेमिट, यूपीआई आदि सेद्वारा/ टीबी को प्राप्त सभी प्रकार के अंशदानों पर लागू होगी। किसी भी निपटान दिवस पर सुबह 9:30 बजे तक प्राप्त डीरेमिट- अंशदान, जो पहले से ही उसी दिन निवेश के लिए मान्य है, को भी सुबह 11 बजे की संशोधित समयसीमा के अनुसार बढ़ाया जाएगा।

4. ईएनपीएस- के लिए पीओपी, सरकारी नोडल कार्यालयों और एनपीएस न्यास को यह सलाह दी जाती है कि वे संशोधित समयसीमा के अनुसार समयबद्ध तरीके से अपनी सूचनासाझाकरण- प्रणाली को सीआरए के साथ तथा अंशदान प्रेषण ढांचे को टीबी के साथ संरेखित करें। इस संरेखण द्वारा उसी दिन के निवेशलाभ को - अभिदाताओं को दिया जाना प्रभावी रूप से सुनिश्चित किया जा सकेगा।
5. यह परिपत्र पीएफआरडीए अधिनियम, 2013 की धारा 14 के अंतर्गत जारी किया गया है, और इसे पीएफआरडीए वेबसाइट (www.pfrda.org.in) पर विनियामक संरचना के अंतर्गत परिपत्र अनुभाग में रखा गया है।

भवदीय,

मुख्य महाप्रबंधक